

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

A1. प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण) (आई.टी.आई.)

प्रस्तावना

राज्य में तकनीकी शिक्षा के विकास व संचालन हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक डी-6320/एफ. 3(487)शिक्षा/ग्रुप-2/56 दिनांक 17 अगस्त 1956 द्वारा प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जोधपुर में है। निदेशालय में निदेशक (शिक्षा) (पॉलीटेक्नीक हेतु) व निदेशक (प्रशिक्षण) (आई.टी.आई. हेतु) कार्यरत है।

राज्य सरकार की अधिसूचना 30(4)श्र.नि/15 दिनांक 04.08.2015 के अनुसार राजस्थान में युवाओं के लिये कौशल प्रशिक्षण, नियोजन व उद्यमिता से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं /कार्यक्रमों /अभियानों /मिशनों/अधिनियमों व नियमों का क्रियान्वयन, नियोजन विभाग, तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग तथा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। बजट घोषणा वर्ष 2015-16 के पैरा संख्या 143 में की गयी घोषणा के क्रियान्वयन में, आदेश संख्या 107/2015 दिनांक 23 मई, 2015 द्वारा राज्य मंत्रीमण्डल ने कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यक्रमों को बेहतर समन्वय के साथ गति देने के लिये "Department of Skills, Employment and Entrepreneurship"(कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग) के गठन करने का अनुमोदन किया है।

नवगठित "कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग" के अन्तर्गत आई.टी.आई. का मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुरूप दस्तकार प्रशिक्षण से छात्रों को प्रशिक्षित कर तकनीकी प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराना है एवम् शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत राजकीय व निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में छात्रों को अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कराना है।

A2. वर्ष 2020-21 की प्रगति एक दृष्टि में

दस्तकार प्रशिक्षण योजना:-

प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण) (आई.टी.आई.)

भौतिक उपलब्धियाँ

- वर्तमान में राज्य की 295 पंचायत समितियों में राजकीय/प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत हो चुके हैं।
- राज्य में दस्तकार प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2020-21 में कुल 260 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत हैं। इन 260 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्वीकृत व्यवसायों की कुल प्रवेश क्षमता 91620 है। उक्त संस्थानों में 11 राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत हैं, जिनमें से 10 राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान क्रमशः जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर, उदयपुर, बासंवाड़ा एवं लक्ष्मणगढ़ (सीकर) है। बहुक्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत 01 महिला औ.प्र.संस्थान, टोंक हेतु व्यवसाय प्रारम्भ करने की भी प्रशासनिक स्वीकृति पश्चात भवन निर्माण पूर्णता की ओर है।
- इसके अतिरिक्त 1715 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी संचालित किये जा रहे हैं, जिसमें कुल प्रवेश क्षमता 302730 है। राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 51 इंजीनियरिंग व्यवसाय एवं 42 नॉन-इंजीनियरिंग व्यवसाय सहित कुल 93 विभिन्न व्यवसाय स्वीकृत हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल स्वीकृत सीटों एवं व्यवसायों का विवरण परिशिष्ट-I, II पर उपलब्ध हैं।

4. नये स्वीकृत 31 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को प्रारम्भ करने कार्यवाही प्रगति पर है। जिसके अन्तर्गत क्रमशः **जिला अलवर (2)**— बहरोड़, कोटकासिम, **जिला बांसवाड़ा (1)**— गंगरतलाई, **जिला बाड़मेर (6)**— धनाऊ, गडरारोड, गिडा, कल्याणपुर, पाटोदी, सेडवा, **जिला दौसा (1)**— महवा **जिला धौलपुर (1)**— सरमथुरा **जिला डूंगरपुर (1)**— सबला, **जिला जालोर (1)**— आहोर **जिला झालावाड़ (1)**— मनोहरथाना **जिला जोधपुर (4)**— बापिणी, देचू, सेखाला, तिवरी **जिला कोटा (1)**— कारागृह कोटा **जिला नागौर (2)**— मकराना शहर, मौलासर **जिला प्रतापगढ़ (1)**— छोटी सादडी **जिला राजसमन्द (3)**—कुम्भलगढ़, रेलमगरा, देवगढ **जिला टोंक (1)**— महिला टोंक **जिला उदयपुर (5)**— फलासिया, गोगुन्दा, झालरा, सेमारी, सायरा का कार्य प्रगति पर है।
5. युवाओ का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए आकर्षित करने हेतु 33 जिलो में एक—2 ब्रांड एम्बेसेडर का चयन किया गया।
6. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्ववित्त पोषित योजना (एस.एफ.एस) अन्तर्गत संचालित यूनिटों को नियमित योजना में परिवर्तित कर प्रशिक्षण आरंभ कर दिया गया।
7. राज्य में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक एवं सुदृढ बनाने के लिए निजी जनसहभागिता के द्वारा विभिन्न औद्योगिक ईकाईयों/प्रतिष्ठानों से एम.ओ.यू. किये गये।
8. केन्द्रीय प्रवर्तित योजना “Upgradation of existing government industrial training Institutes into Model ITI के अन्तर्गत राज्य की राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर को मॉडल आईटीआई के रूप में विकसित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिसमें केन्द्र व राज्य का हिस्सा 70 व 30 प्रतिशत रहेगा।

A3. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश क्षमता का विवरण (सत्र 2020–21)

पाठ्यक्रम	राजकीय संस्थाएँ		निजी संस्थाएं		योग	
	संस्थाएं	प्रवेश क्षमता	संस्थाएं	प्रवेश क्षमता	संस्थाएं	प्रवेश क्षमता
आई. टी. आई.	260*	91620	1715	302730	1975	394350

* वर्तमान में 229 राजकीय संस्थान में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शेष 31 स्थानों पर नये आई.टी.आई. खोलने हेतु भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

A4 दस्तकार प्रशिक्षण योजना :

A4.1 वित्तीय प्रबन्धन :

वर्ष 2020-21में दस्तकार (औद्योगिक) प्रशिक्षण योजना में वित्तीय व्यवस्था निम्नानुसार है:-

क-कार्यकलापों का वर्गीकरण

(राशि सहस्रों रूपयों में)

बजट मद	आय व्ययक अनुमान 2020-2021			दिनांक 31.12.2020 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
1	2	3	4	5	6	7
मांग संख्या 23						
2230-श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 03- प्रशिक्षण, 003-शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण-(08)शिल्प प्रशिक्षण योजना, (01) शिल्प प्रशिक्षण योजना प्रतिबद्ध	1208001	0	1208001	785079	0	785079
प्रभृत	1	0	1	0	0	0
2230-03-102-प्रशिक्षु प्रशिक्षण, 01-शिक्षुओं का प्रशिक्षण, (01) शिक्षुओं का प्रशिक्षण प्रतिबद्ध	44410	0	44410	31669	0	31669
मांग संख्या 30						
2230-श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 03- प्रशिक्षण, 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, (08)-शिल्प प्रशिक्षण योजना, (01) शिल्प प्रशिक्षण योजना प्रतिबद्ध	49422	0	49422	32437	0	32437
योग	1301834	0	1301834	849185	0	849185
मांग संख्या 23						
2230-श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 03- प्रशिक्षण, 003-शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण-(01)-शिल्प प्रशिक्षण योजना	176455	0	176455	158740	0	158740

(05)–अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आईटीआई	43285	0	43285	39894	0	39894
(06)–मॉडल आई टी आई की स्थापना	1500	3500	5000	0	0	0
(07) पर्यटन प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना	21248	0	21248	15333	0	15333
101–03–वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेण्ट प्रोजेक्ट (वर्ल्ड बैंक सहायता अन्तर्गत)	28186	0	28186	18833	0	18833
101–04–स्ट्राइव (स्किल स्ट्रेन्थिंग फोर इण्डस्ट्रियल वैल्यू एन्हेसमेंट)	0	10000	10000	0	0	0
102–प्रशिक्ष प्रशिक्षण						
02–शिक्षुओं का प्रशिक्षण (01) शिक्षुओं का प्रशिक्षण प्रतिबद्ध	1	0	1	0	0	0
मांग संख्या 30						
796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (01)–शिल्प प्रशिक्षण योजना	4347	0	4347	3358	0	3358
(05)– जनजाति क्षेत्रों में युवकों के लिये पाठ्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि),	0	0	0	0	0	0
मांग संख्या 51 2230–03–789– अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना, (01)–शिल्प प्रशिक्षण योजना	13306	0	13306	12324	0	12324
मांग संख्या 23 4250– अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 203– रोजगार, (04)–प्रशिक्षण, (01)–संयंत्र एवं उपकरण,	58080	0	58080	0	0	0
मांग संख्या 23 4250–203–07–वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेण्ट प्रोजेक्ट (01)–18– मशीनरी और साजसामान/औजार एवं संयंत्र (वर्ल्ड बैंक सहायता अन्तर्गत)	1	0	1	0	0	0
मांग संख्या 23 4250–अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 203–10–अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आई टी आई (01)–18– मशीनरी और साजसामान/औजार एवं संयंत्र	10000	0	10000	0	0	0

मांग संख्या 23 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 203-12-मॉडल आई टी आई की स्थापना (01)-18- मशीनरी और साजसामान/औजार एवं संयंत्र	0	1	1	0	0	0
मांग संख्या 23 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 203-14-पर्यटन प्रशिक्षण उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना (01)-18- मशीनरी और साजसामान/औजार एवं संयंत्र	1	0	1	0	0	0
मांग संख्या 23 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 203-15-स्ट्राइव (स्किल स्ट्रेन्थिंग फोर इण्डस्ट्रियल वैल्यू एन्हेसमेंट) (01)-कौशल संवर्धन, 17-वृहद निर्माण कार्य	0	20000	20000	0	0	0
मांग संख्या 23 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 203-15-स्ट्राइव (स्किल स्ट्रेन्थिंग फोर इण्डस्ट्रियल वैल्यू एन्हेसमेंट) (01)-कौशल संवर्धन, 18- मशीनरी और साजसामान/औजार एवं संयंत्र	0	69998	69998	0	32780	32780
मांग संख्या 30 4250-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, (01)-प्रशिक्षण, (01)-संयंत्र और उपकरण, 18- मशीनरी और साजसामान/औजार एवं संयंत्र	35000	0	35000	0	0	0
मांग संख्या 30 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, (02)-नवीन आई टी आई के भवन निर्माण, (90)-निर्माण कार्य 17-वृहद निर्माण कार्य	105000	0	105000	90446	0	90446
मांग संख्या 19 4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 203-रोजगार, (02)-प्रशिक्षण, (90)-निर्माण कार्य 17- वृहद निर्माण कार्य	528520	0	528520	468254	0	468254
मांग संख्या 19 4250-203-08-वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेण्ट प्रोजेक्ट-(90)-17-वृहद निर्माण कार्य (वर्ल्ड बैंक सहायता	4	0	4	0	0	0

अन्तर्गत)						
मांग संख्या 19 4250-203-09-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आइटीआई के भवन निर्माण - (90)-निर्माण कार्य, 17-वृहद निर्माण कार्य	30000	0	30000	28265	0	28265
मांग संख्या 19 4250-203-11-मॉडल आई टी आई की स्थापना-(90)-निर्माण कार्य, 17-वृहद निर्माण कार्य	0	1	1	0	0	0
मांग संख्या 19 4250-203-13-पर्यटन प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना-(90)-निर्माण कार्य, 17-वृहद निर्माण कार्य	1	0	1	0	0	0
मांग संख्या 51 4250-789- अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना, (01)- प्रशिक्षण, (01)-संयंत्र और उपकरण, 18- मशीनरी और साजसामान/औजार एवं संयंत्र	55000	0	55000	115	0	115
मांग संख्या 51 4250-789- अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना, (02)-नवीन आई टी आई के भवन निर्माण, (90)-निर्माण कार्य 17- वृहद निर्माण कार्य	160000	0	160000	72038	0	72038
मांग संख्या 33 4225-03-अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण,800-अन्य व्यय(03)-देवनारायण योजना(तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से(01)-नए आइ टी आई केंद्रों का भवन निर्माण, 17-वृहद निर्माण कार्य	1	0	1	0	0	0
महायोग	1269936	103500	1373436	907600	32780	940380

A4.2 स्वीकृत पद

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की प्रशिक्षण शाखा में (अप्रैल 2020 से दिसम्बर, 2020 तक) स्वीकृत पदों की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.स.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	क्र.सं.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1	निदेशक, प्रशिक्षण	01	24	सहायक प्रोग्रामर	01
2	संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण	02	25	सूचना सहायक	01
3	उपराज्य शिक्षता सलाहकार एवं उपनिदेशक प्रशिक्षण / उपनिदेशक प्रशिक्षण	14	26	वाहन चालक	03
4	सहायक निदेशक प्रशि0 / आचार्य औ0प्र0सं0 / प्रबंधक, उ0 केन्द्र	72	27	अतिरिक्त निजी सचिव	01
5	उपाचार्य / अधीक्षक औ0प्र0सं0	219	28	निजी सहायक	01
6	वित्तीय सलाहकार	01	29	शीघ्र लिपिक	09
7	लेखाधिकारी	02	30	संस्थापन अधिकारी	1
8	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1	01	31	प्रशासनिक अधिकारी	05
9	वरिष्ठ विधि अधिकारी	02	32	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	25
10	प्रोग्रामर	01	33	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	78
11	समूह अनुदेशक / सर्वेयर / सहायक शिक्षता सलाहकार	273	34	वरिष्ठ सहायक	223
12	वरिष्ठ अनुदेशक	215	35	कनिष्ठ सहायक	381
13	कनिष्ठ अनुदेशक (व्यवसाय) नियमित *	2071	36	मशीन मैन	02
14	का0ग0एवं वि0 / इंजी0 ड्राईंग अनुदेशक	491	37	दफतरी	03
15	लीव रिजर्व	07	38	जमादार	13
16	स्टोर अनुदेशक	02	39	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	652
17	एम्प्लोयबिलिटी स्किल्स अनु0	180	40	कार्यशाला परिचारक	110
18	आई.टी.लैब अनुदेशक	254	41	संग्रह अनुचर	02
19	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1A	11	42	अटेन्डेण्ट स्केल नं0 1	23
20	कनिष्ठ लेखाकार	43	43	चौकीदार	12
21	कनिष्ठ विधि अधिकारी	01	44	सफाई कर्मी	06
22	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	04	45	मल्टी टास्क सर्विस	14
23	संगणक	02			
योग					5435

	संविदा पद				
1	कार्यशाला गणना एवं विज्ञान एवं इंजीनियरिंग ड्राईंग अनुदेशक(संविदा)	95			
2	अंशकालीन व्याख्याता (संविदा)	02			
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदा)	06			
4	कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन	02			
5	प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर (सीईटीटी)(संविदा)	01			
6	मशीन विद मैन (संविदा) (सीईटीटी प्रोजेक्ट)	01			
7	बागवानी सेवाएं(संविदा) (सीईटीटी प्रोजेक्ट)	01			
8	अंशकालीन स्वीपर (संविदा)	01			
	योग	109			
	Grant Total	5544			

राजपत्रित एवं अराजपत्रित रिक्त पदों की स्थिति

निदेशक प्रशिक्षण 01	संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण 01	उपराज्य शिक्षता सलाहकार एवं उपनिदेशक प्रशिक्षण/ उपनिदेशक प्रशिक्षण टीएडी 01	सहायक निदेशक प्रशि0/ आचार्य औ0प्र0सं0/ प्रबंधक, उ0 केन्द्र 17	उपाचार्य/अधीक्षक औ0प्र0सं0 154
वित्तीय सलाहकार 01	लेखाधिकारी 01	वरिष्ठ विधि अधिकारी 01	समूह अनुदेशक/ सर्वेयर /सहायक शिक्षता सलाहकार 139	वरिष्ठ अनुदेशक 22
कनिष्ठ अनुदेशक (व्यवसाय) नियमित 1638	का0ग0एवं वि0/ इंजी0 ड्राईंग अनुदेशक 442	एम्प्लोयबिलिटी रिकल्स अनु0 180	आई.टी.लैब अनुदेशक 254	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 03
कनिष्ठ लेखाकार 13	कनिष्ठ विधि अधिकारी 01	वाहन चालक 02	अतिरिक्त निजी सचिव 01	शीघ्र लिपिक 05
प्रशासनिक अधिकारी 01	सहायक प्रशासनिक अधिकारी 02	वरिष्ठ सहायक 83	कनिष्ठ सहायक 187	जमादार 05
कार्यशाला परिचारक 64	अटेन्डेण्ट स्केल नं0 1 11	मल्टी टास्क सर्विस (बहुउद्देश्य कार्यकर्ता) 14	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (नियमित) 332	चौकीदार 12
सफाई कर्मी	संगणक			

06	02			
योग:-3296				

रिक्त पद संविदा

कार्यशाला विज्ञान इंजीनियरिंग अनुदेशक 95	गणना एवं ड्राईंग	प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर 01	अंशाकालीन व्याख्याता 02	कम्प्यूटर ऑपरेटर 02	
योग:-100					
महायोग 3396					

नोट:-

1. अनुदेशकों के 402 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन संख्या 08/2018 के तहत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 373 पदों का परिणाम जारी किया जा चुका है। अन्तिम चयनित 338 अभ्यर्थियों में से 229 को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। 109 पदों पर नियुक्ति कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2. कनिष्ठ अनुदेशक एम्प्लॉयबीलिटी स्कील एवं आई.टी. लेब के 385 पदों पर भर्ती हेतु अर्थना भिजवाई जा चुकी है।
3. नवसृजित 250 पदों सहित अनुदेशकों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु सेवा नियमों में डीजीटी के मापदण्डानुसार सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

A4.3 विभागीय चयन समिति की बैठकें :

निदेशक, आरसीवीईटी, वर्ष 2013-14 एवं पारिणामिक रिक्ति संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण वर्ष 2013-14 व पारिणामिक रिक्ति उप निदेशक प्रशिक्षण वर्ष 2014-15 व 2015-16 की डीपीसी के प्रस्ताव विचाराधीन है। सहायक निदेशक प्रशिक्षण की वर्ष 2020-21 की डीपीसी हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है।

उपाचार्य/अधीक्षक औ.प्र.संस्थान के पद वर्ष 2020-21 की डी.पी.सी. आयोजित कर पदस्थापन आदेश जारी किये जा चुके हैं।

अधीनस्थ सेवा में समूह अनुदेशक/सर्वेयर/सहायक शिक्षुता सलाहकार के पदों की वर्ष 2020-21 की डीपीसी हेतु प्रस्ताव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भिजवाये जा चुके हैं। मंत्रालयिक सेवा में कनिष्ठ सहायक के अतिरिक्त शेष पदों की वर्ष 2020-21 की डीपीसी आयोजित की जा चुकी है।

A4.4 नियुक्तियां :

वर्ष 2020-21 में (01 अप्रैल, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक) सीधी भर्ती से कनिष्ठ अनुदेशक पद पर अन्तिम चयनित 338 अभ्यर्थियों में से 229 को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है तथा मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के तहत 03 तथा प्रशासनिक सुधार विभाग से प्राप्त आवेदन पत्र के अनुसार 101 अभ्यर्थियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर एवं 01 अभ्यर्थी को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के तहत च0श्रे0कर्मचारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई।

A4.5 स्थानान्तरण :

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार सत्र 2020-21 में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं प्रशासनिक कारणों से तथा स्वयं की प्रार्थना पर स्वैच्छिक स्थानान्तरण किये गये।

A4.6 पेंशन प्रकरणों की स्थिति :

विभाग में वर्ष 2020-21 में दिनांक (01 अप्रैल, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020) तक 29 कार्मिक सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त/निधन हुए, इस अवधि में 13 कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण निस्तारित हुए। शेष प्रकरण में पेंशन विभाग/संस्थान स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

A4.7 विभागीय जांच :

विभाग द्वारा विभागीय जांच प्रकरणों के निस्तारण के तहत लम्बित विभागीय जांच प्रकरणों को निपटाने की कार्यवाही की गई। दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक की अवधि में सीसीए नियम 16 में 05 कार्मिकों को आरोप पत्र जारी किया गया व 01 कार्मिकों के सीसीए 16 के प्रकरणों का निस्तारण किया गया। उक्त अवधि में 02 कार्मिकों को निलम्बित किया गया तथा 01 कार्मिक को निलम्बन से पुनः पदस्थापित किया गया।

A4.8 विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण:-

वर्ष 2020-21 में ऑन लाईन ब्लेडेड ट्रेनिंग के अन्तर्गत 51 अनुदेशकों के प्रशिक्षण हेतु आदेश जारी किये गये।

A4.9 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने बाबत :

अप्रैल, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक निदेशालय में 405 ऑन लाईन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। इनमें से सभी आवेदकों को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है/अथवा प्रतिलिपि शुल्क की मांग की गई है।

A4.10 वरिष्ठता सूची का प्रकाशन:

राजपत्रित सेवा की वर्ष 2020-21 हेतु दिनांक 01.04.2020 की स्थिति अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की जा चुकी है। अधीनस्थ सेवा के समूह अनुदेशक एवं वरिष्ठ अनुदेशकों की तथा मंत्रालयिक सेवा के पदों की दिनांक 01.04.2020 की स्थिति अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की जा चुकी है।

A4.11 संसद एवं विधानसभा प्रश्नावली :

विभाग में प्राप्त होने वाले लोकसभा/राज्यसभा एवं विधानसभा से संबंधित तारांकित/अतारांकित प्रश्नों के प्रत्युत्तर राज्य सरकार को निर्धारित अवधि के भीतर भिजवाये गये।

A4.12 सम्पर्क पोर्टल :

सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से माह अप्रैल 2020 से दिसम्बर, 2020 तक 383 प्रार्थना पत्र/परिवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 321 का निस्तारण किया जा चुका है। शेष निस्तारण हेतु प्रक्रियाधीन है।

A4.13परीक्षा अनुभाग:

1. विभाग का संगठनात्मक ढांचा:-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.15(5)त.शि./2000 जयपुर, दिनांक 12 अक्टूबर, 2009 द्वारा राज्य में व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (RCVET) का गठन किया गया।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.15(5)त.शि./2000 पार्ट, जयपुर, दिनांक 12 मार्च, 2020 द्वारा राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (RCVET) का पुनर्गठन किया गया।

राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (RCVET) का रजिस्ट्रेशन राजस्थान संस्था पंजीयन अधिनियम 1958 के अन्तर्गत कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जोधपुर एवं रजिस्ट्रार (संस्थाएं) जोधपुर द्वारा प्रमाण पत्र क्रमांक 239/जोधपुर/9-10/दिनांक 08.01.2010 के द्वारा दिया गया है। जिसके अन्तर्गत राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (RCVET) सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन हेतु मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में वर्णित कार्यों के अनुसार राजकीय/प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन का दायित्व सम्भाल रही है।

2. स्वीकृत- कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण-

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	निदेशक	01	00	01
2	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	01	01	---
3	उपनिदेशक	01	01	---
4	सहायक निदेशक	01	01	---
5	प्रोग्रामर	01	01	---
6	सूचना सहायक	06	06	---
7	वरिष्ठ सहायक	01	01	---
8	क0 लेखाकार	01	01	---
9	समूह अनुदेशक	01	01	---
कुल		14	13	01

संविदा पर कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण-

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर	02	02	---
2	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02	02	---
कुल		04	04	---

3. विभागीय प्रमुख कार्य एवं आलौच्य वर्ष में प्रगति –

प्रमुख कार्य:–

RCVET द्वारा निम्न 04 परीक्षाएँ विभिन्न योजनान्तर्गत वर्ष में दो बार आयोजित करवाई जाती है–

1. एन.सी.वी.टी. योजनान्तर्गत अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा (AITT)
2. Dual System of Training परीक्षा (DST)
3. एस.सी.वी.टी. योजनान्तर्गत राज्य व्यावसायिक परीक्षा (SCVT)
4. सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फोर ट्यूरिज्म ट्रेनिंग परीक्षा (CETT)

DGT नई दिल्ली के निर्देशानुसार अगस्त 2018 से आई.टी.आई. में प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षाएं वार्षिक पद्धति के तहत आयोजित की जा रही है। वर्ष 2018 से पूर्व के प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षाएं सेमेस्टर प्रणाली अनुसार आयोजित की जा रही है।

एन.सी.वी.टी. के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित होती है। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं हेतु ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप केलकुलेशन एण्ड साइंस व एम्प्लोएबिलिटी स्किल की परीक्षाएं ऑनलाईन (Computer Based Test) होगी जिनकी समस्त व्यवस्थाएं DGT नई दिल्ली द्वारा की जायेगी। DGT नई दिल्ली द्वारा ऑनलाईन परीक्षाओं की पृथक से निर्धारित परीक्षा शुल्क Portal के माध्यम से जमा करवायी जावेगी। तथा इंजीनियरिंग ड्राईंग एवं प्रायोगिक परीक्षाएं ऑफलाईन होती है व इनके पेपर बनवाने तथा मूल्यांकन का कार्य RCVET स्तर पर किया जाता है। एन.सी.वी.टी. योजनान्तर्गत सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र भारत सरकार द्वारा प्रदत्त होता है।

एस.सी.वी.टी. के अन्तर्गत राज्य स्तर की परीक्षाएं आयोजित होती है। इन परीक्षाओं हेतु प्रश्न पत्र बनाने, मूल्यांकन इत्यादि सभी कार्य RCVET स्तर पर ही सम्पादित किये जाते है। सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र RCVET द्वारा प्रदत्त होता है।

राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् निम्नलिखित वित्तीय स्रोतों से आय अर्जित करती है।

1. परीक्षा शुल्क: रुपये 200 /– प्रति प्रशिक्षणार्थी NCVT हेतु।
2. परीक्षा शुल्क: रुपये 400 /– प्रति प्रशिक्षणार्थी SCVT, CETT हेतु।
3. प्रमाण-पत्र सत्यापन शुल्क : 100 /–
4. इंजीनियरिंग ड्राईंग की उत्तर पुस्तिका Scan Copy का शुल्क : 250 /–

आलौच्य वर्ष में प्रगति –

1. आरसीवीईटी द्वारा अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा, नवम्बर 2020 की एनसीवीटी परीक्षा, डयूल सिस्टम परीक्षा की विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रायोगिक एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इन परीक्षाओं हेतु राज्य में कुल 1529 परीक्षा केन्द्र बनाए गये। नवम्बर 2020 एनसीवीटी परीक्षा में कुल 220000 प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए।
2. प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) भारत सरकार के निर्देशानुसार नवम्बर, 2020 एनसीवीटी परीक्षा, डयूल सिस्टम परीक्षाओं के प्रायोगिक परीक्षा एवं इंजीनियरिंग ड्राईंग प्रश्न पत्रों को आरसीवीईटी स्तर पर तैयार कराए गये। एससीवीटी एवं सीईटीटी पाठ्यक्रमों की दिसम्बर, 2020 की परीक्षाओं हेतु सभी विषयों के परीक्षा प्रश्न पत्र आरसीवीईटी स्तर पर तैयार कराये गये है। इस सत्र हेतु विभिन्न योजननाओं के कुल 125 परीक्षा प्रश्न पत्र आरसीवीईटी स्तर पर बनवाए गये।

3. एनसीवीटी परीक्षाओं के सुचारु आयोजन हेतु राज्य में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय “ जिला परीक्षा संचालन समितियों” का गठन कराया गया। प्रायोगिक परीक्षाओं में परीक्षकों की व्यवस्था हेतु आईटीआई तकनीकी स्टाफ के साथ-साथ राज्य के विभिन्न तकनीकी विभागों यथा Energy, RSRTC, PWD तथा PHED के तकनीकी कार्मिकों का भी सहयोग लिया गया।
4. आरसीवीईटी द्वारा दिसम्बर 2020 की एस.सी.वी.टी. योजनान्तर्गत राज्य व्यावसायिक परीक्षा एवं सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फोर ट्यूरिजम ट्रेनिंग परीक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इन परीक्षाओं हेतु राज्य में कुल 89 परीक्षा केन्द्र बनाए गये। दिसम्बर 2020 की एनसीवीटी परीक्षा में 2337 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए।

विगत 03 वर्षों के परीक्षा परिणाम का तुलनात्मक विवरण –

NCVT Exam Result statistics of Three Years					
S.No.	Year	Exam-Year	Appear	Pass	%age
1	2017	Jan 2017	60059	28243	47.03
2		July 2017	127136	46784	36.8
3	Total		187195	75027	40.08
4	2018	Jan 2018	57507	29375	51.08
5		July 2018	114209	52883	46.3
6	Total		171716	82258	47.9
7	2019	Jan 2019	39622	23734	59.9
8		July 2019	121598	61922	50.92
9	Total		161220	85656	53.13

SCVT Exam Result statistics of Three Years					
S.No.	Year	Exam-Year	Appear	Pass	%age
1	2017	Jan 2017	253	159	62.85
2		July 2017	935	660	70.59
3	Total		1188	819	68.94
4	2018	Jan 2018	314	211	67.2
5		July 2018	1696	854	50.35
6	Total		2010	1065	52.99
7	2019	Jan 2019	235	164	69.79
8		July 2019	1124	822	73.13
9	Total		1359	986	72.55

4. विशेष पहल एवं उपलब्धि –

आरसीवीईटी द्वारा अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा, नवम्बर 2020 की एनसीवीटी परीक्षा, डयूल सिस्टम परीक्षा की विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं हेतु परीक्षा शुल्क ऑनलाईन जमा कराने के उद्देश्य से परीक्षार्थियों की की स्वयं की SSO ID / ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से शुल्क जमा कराने की व्यवस्था की गई।

आरसीवीईटी द्वारा अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा, नवम्बर 2020 की एनसीवीटी परीक्षा, डयूल सिस्टम परीक्षा की विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रायोगिक एवं इजीनियरिंग परीक्षाओं तथा दिसम्बर 2020 की एस.सी.वी.टी. योजनान्तर्गत राज्य व्यावसायिक परीक्षा एवं सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फोर ट्यूरिजम ट्रेनिंग परीक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों की समस्त परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

5. सार-संक्षेप –

RCVET द्वारा एन.सी.वी.टी. योजनान्तर्गत अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा (AITT), Dual System of Training परीक्षा (DST), एस.सी.वी.टी. योजनान्तर्गत राज्य व्यावसायिक परीक्षा (SCVT), सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फोर ट्यूरिज्म ट्रेनिंग परीक्षा (CETT) वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है।

एन.सी.वी.टी. की राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं हेतु डीजीटी द्वारा ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप केलकुलेशन एण्ड साइंस व एम्प्लोएबिलिटी स्किल की परीक्षाएं ऑनलाईन (Computer Based Test) आयोजित होगी तथा इंजीनियरिंग ड्राईंग एवं प्रायोगिक परीक्षाएं RCVET स्तर से ऑफलाईन आयोजित होती है। इनके प्रश्न पत्र बनाने, मूल्यांकन इत्यादि सभी कार्य RCVET स्तर पर ही सम्पादित किये जाते हैं। एन.सी.वी.टी. योजनान्तर्गत सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र भारत सरकार द्वारा प्रदत्त होता है।

RCVET द्वारा एस.सी.वी.टी. के अन्तर्गत राज्य स्तर की परीक्षाएं आयोजित होती हैं। इन परीक्षाओं हेतु प्रश्न पत्र बनाने, मूल्यांकन इत्यादि सभी कार्य RCVET स्तर पर ही सम्पादित किये जाते हैं। सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र RCVET द्वारा प्रदत्त होता है।

A 5. Upgradation of 1396 Government ITI's through PPP mode:

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक राज्य की 105 राजकीय औ. प्र. संस्थानों को केन्द्रीय प्रवर्तित योजना “Upgradation of 1396 Government ITI's through Public Private Partnership” के अन्तर्गत क्रमोन्नत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक संस्थान में प्रतिष्ठित उद्योग संघों से सम्बद्धता प्राप्त उद्योगपति की अध्यक्षता में संस्थान प्रबंधन समिति (आई.एम.सी.) का गठन कर इन का पंजीकरण सोसायटी के रूप में किया गया है। योजनान्तर्गत क्रमोन्नत औ. प्र. संस्थानों को डी.जी.टी. भारत सरकार के माध्यम से 2.50 करोड़ रुपये प्रति संस्थान को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में आई.एम.सी. के बचत खाते में हस्तांतरित की जा चुकी है। इस राशि से आई.एम.सी. के प्रयास से संस्थानों में प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित की जा रही है। अर्थात् संस्थानों में संचालित व्यवसाय/एककों को क्रमोन्नत (upgrade) के साथ-साथ संस्थानों में नवीन व्यवसाय/एककों के संसाधन विकसित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

इस योजनान्तर्गत क्रमोन्नत कुल 105 राजकीय औ.प्र.संस्थानों में सुपरन्यूररीस्थानों पर अधिकतम प्रवेश का 20 प्रतिशत प्रवेश संस्थान प्रबंधन समिति (आई.एम.सी.) द्वारा किये जा रहें हैं ,इस हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

क्र. सं.	प्रायोजित अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु बिन्दुवार विवरण	
	English version	हिन्दी अनुवाद
A	Since, this scheme is for overall upgradation of ITI, therefore 20% admission to be determined by IMC, may cover all trades.	चुंकी यह योजना औ.प्र. संस्थान को पूर्ण रूपेण अपग्रेड करती है। अतः संस्थान के समस्त व्यवसाय/एककों में आई.एम.सी. द्वारा 20 प्रतिशत प्रवेश किये जासकेंगे।
B	Candidates sponsored (whose fees will be paid by industry or candidate) from industry having industry experience of 2 years with requisite educational qualification, will be given first priority.	प्रायोजित प्रशिक्षणार्थियों (जिनका प्रशिक्षण शुल्क अभ्यर्थी स्वयं के द्वारा अथवा संबंधित उद्योगों के द्वारा दिया जायेगा) एवं जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखता हो तथा जिन्हे दो वर्ष का औद्योगिक अनुभव प्राप्त हों, को प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
C	IMC seats will be filled before the general admissions in ITI.	आई.एम.सी. स्थान पर प्रवेश औ.प्र. संस्थानों में सामान्य प्रवेश से पूर्व किये जायेंगे।
D	Reservation guidelines as per State Govt. provisions are to be followed. IMC seats will be filled with horizontal reservation. 20% seat will be reserved for IMC in each category i.e., Gen/SC/ST/OBC. This comes out to be one seat in each category.	आरक्षण संबंधी निर्देश राज्य सरकार के प्रावधानानुसार समान रूप से मान्य होंगे। 20 प्रतिशत आई.एम.सी. स्थानों पर आरक्षण प्रत्येक वर्ग हेतु क्षेतिज रूप में रहेगा, अर्थात् सामा./अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व.। यह न्यूनतम एक स्थान प्रत्येक वर्ग हेतु रहेंगा।
E	If the number of industry sponsored candidates are more than the IMC seats, admissions will be given on the basis of merit list. (Based on educational qualification).	आई.एम.सी. स्थानों के लिए उद्योगों द्वारा प्रायोजित अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र प्राप्त होने की स्थिति में प्रवेश शैक्षणिक योग्यता की मैरिट के आधार पर कियेजायेंगे।
F	The fees for IMC seats will be decided by the IMC of the ITI before the admissions.	आई.एम.सी. स्थानों का प्रशिक्षण शुल्क भी आई.एम.सी. के द्वारा प्रवेश से पूर्व निर्धारित किया जायेगा।
G	If industry sponsored candidates are not available, candidates from respective merit list of ITI for admission, on the respective date will be offered these seats.with the fees decided by IMC.	यदि उद्योगों द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता हो तो इन स्थानों पर IMC द्वारा निर्धारित फीस के आधार पर सामान्य वरियता सूची से प्रवेश कार्यक्रम की निर्धारित तिथियों को प्रवेश किये जायेंगे।

A 6. शिक्षुता प्रशिक्षण:

A 6.1 शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण योजना का संचालन किया जाता है। यह अधिनियम 30 एवं अधिक कार्मिक नियुक्त करने वाले केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों/उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनके माध्यम से एक वर्ष से चार वर्ष की अवधि का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। निदेशक, प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा-राज्य शिक्षुता सलाहकार, एवं संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण, जयपुर-संयुक्त राज्य शिक्षुता सलाहकार,, समस्त उपनिदेशक, प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यालय-उप राज्य शिक्षुता सलाहकार तथा जिला स्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य/अधीक्षक, सहायक शिक्षुता सलाहकार के रूप में क्रमशः राज्य/सम्भाग/जिला स्तर पर शिक्षुता प्रशिक्षण की गतिविधियों की मॉनीटरिंग करते हैं।

शिक्षुता प्रशिक्षण के अन्तर्गत शिक्षुओं को न्यूनतम वृत्तिका का भुगतान नियोजक द्वारा किया जाता है जिसकी दरें निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	श्रेणी	न्यूनतम वृत्तिका की निर्धारित रकम
(i)	स्कूल पास आऊट (कक्षा 5वीं से 9वीं)	5000 प्रति माह
(ii)	स्कूल पास आऊट (कक्षा 10वीं)	6000 प्रति माह
(iii)	स्कूल पास आऊट (कक्षा 12वीं)	7000 प्रति माह
(iv)	राष्ट्रीय या राज्य प्रमाण-पत्र धारक	7000 प्रति माह
(v)	तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षु या व्यावसायिक प्रमाण-पत्र धारक या सैंडविच पाठ्यक्रम (डिप्लोमा संस्थाओं से छात्र)	7000 प्रति माह
(vi)	तकनीशियन शिक्षु या किसी भी स्ट्रीम में डिप्लोमा धारक या सैंडविच पाठ्यक्रम (डिप्लोमा संस्थाओं से छात्र)	8000 प्रति माह
(vii)	किसी भी स्ट्रीम में स्नातक, स्नातक शिक्षु या डिग्री शिक्षु	9000 प्रति माह

भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठानों व शिक्षुओं के पंजीकरण सहित शिक्षुओं के नियोजन की कार्यवाही वेब-पोर्टल (www.apprenticeship.org) के माध्यम से ऑन-लाईन की गई है।

नियोजकों को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार ने National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) लागू की है जिसके अन्तर्गत नियोजकों की ओर से शिक्षुओं को भुगतान की जाने वाली वृत्तिका राशि का 25 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1500/- प्रति शिक्षु प्रति माह) तथा बेसिक प्रशिक्षण प्रदाता को रु. 7500/- प्रति शिक्षु (500 घण्टे/3 माह के लिये) का पुनर्भरण भारत सरकार द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

A 6.2 शिक्षुता प्रशिक्षण योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 के दौरान 31.10.2020 तक की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

राज्य में स्थित प्रतिष्ठानों को शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रतिष्ठान का ऑनलाइन पंजीकरण एवं शिक्षुओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु भारत सरकार के वेब-पोर्टल के माध्यम से सतत कार्यवाही जारी है। अक्टूबर 2020 तक की प्रगति इस प्रकार है:-

क्र.सं.	विवरण	उपलब्धियां
1.	वेब-पोर्टल पर पंजीकृत हुए प्रतिष्ठानों की संख्या	2514
2.	वेब-पोर्टल पर पंजीकृत हुए प्रतिष्ठानों में उपलब्ध प्रशिक्षण स्थानों की संख्या	16656
3.	वेब-पोर्टल के माध्यम से उद्योगों/प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षणरत शिक्षुओं की संख्या	4884

A 6.3 डिग्री, डिप्लोमा उत्तीर्ण, अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप योजना के अन्तर्गत अधिक संख्या में नियोजित करने हेतु BOAT (Board of Apprenticeship Training) कानपुर का एक उप-कार्यालय संयुक्त राज्य शिक्षुता सलाहकार कार्यालय, जयपुर परिसर में खोला गया है तथा वर्तमान में एक सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी को पदस्थापित किया गया है।

A.7 Upgradation of Existing Government Industrial Training Institutes into Model ITI :

देश में वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य की एक राजकीय औ. प्र. संस्थान, उदयपुर को Upgradation of Existing Government Industrial Training Institutes (ITIs) in to Model it is के अन्तर्गत मॉडल आई.टी.आई. के रूप में क्रमोन्नत किया जा रहा है इस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कुल Project Cost राशि रु. 05.00 करोड़ निर्धारित की गई हैं, जिस में क्रमशः केन्द्र एवं राज्यांश यथा 70 एवं 30 प्रतिशत है।डी.जी.टी. नई दिल्ली द्वारा योजना संचालन हेतु जारी गाईड-लाईन अनुसार निम्न कार्यवाही की जा चुकी है।

1. योजनान्तर्गत औ. प्र. संस्थान, उदयपुर को आई.एम.सी. ऑफआई.टी.आई. उदयपुर का गठन किया जा कर इसका पंजीकरण सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत कराया गया है।
2. योजना संचालन हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं उद्योग-सहभागी के मध्य एक त्रिपक्षीय एम.ओ.ए. हस्ताक्षरित किया जा कर केन्द्र सरकार द्वारा राशि रु. **175+140=315** लाख आवंटन की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।राशि आवंटित की जाकर संस्थान स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।
3. मॉडल आई.टी.आई. की स्थापना के संबंध में दो नये व्यवसायों क्रमशः मैकेनिक डीजल एवं ऑटो बॉडी पेन्टिंग में प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा चुका है।
4. राज्य सरकार द्वारा योजना संचालन हेतु गाईड-लाईन का अनुमोदन कर नये व्यवसायों के आवश्यक पदों के सृजन की कार्यवाही की जा चुकी है।

A.8 Strengthening for Industrial Value Enhancement Project (STRIVE)

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा केन्द्र सरकार के “Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE)” Project का Operations Manual (OM) दिनांक 03 जनवरी, 2019 को अनुमोदित किया गया इस प्रोजेक्ट की अवधि नवम्बर, 2022 तक है।

इस प्रोजेक्ट के मुख्य Objectives का विवरण निम्नानुसार है :-

- 1 Improving the relevance and efficiency of skills training provided through ITIs an apprenticeship. STRIVE is five years project implemented by the ministry of skill development and Entrepreneurship (MSDE) through state Government, Industrial Training Institutes (ITIs) centrally funded Institute (CFI) and Industry Cluster (IC) the closing date of strive is November 2022 .
- 2 STRIVE is central sector scheme (CSS) with no state contribution and a budget outlay of INR for all India level.
The project has following result area:-
- 3 राज्य के कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा इस प्रोजेक्ट में पूर्ण सहभागिता निभाई जा रही है।इस प्रोजेक्ट को राज्य में संचालन हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार के मध्य MoU / Performance Based Funding Agreement (PBFA)निष्पादित किया जा चुका है।
- 4 केन्द्र सरकार का प्रोजेक्ट STRIVE को राज्य की औ. प्र. संस्थानों में संचालित करने हेतु नवीन बजट मद खोला जा चुका है।

- 5 राज्य सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत कुल 34 राजकीय औ. प्र. संस्थानों के चयन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन समस्त 34 संस्थानों में योजना प्रावधानुसार आई.एम.सी. का गठन किया जा चुका है। राज्य परिचालन समिति द्वारा 34 संस्थानों में से 26 संस्थानों को योजनान्तर्गत चयन किये जाने की अभिशंषा की जा कर केन्द्र सरकार को भिजवाई जा चुकी है। केन्द्र सरकार इन 26 राजकीय संस्थानों में से केन्द्र सरकार द्वारा अधिकतम 14 संस्थानों को योजनान्तर्गत चयन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अंतिम चयन उपरान्त इनमें प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु राशि हस्तान्तरित की जायेगी।
- 6 केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम चरण में कुल राशि रू. 627.80 लाख जारी की जा चुकी जिसे योजना अनुसार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में गठित राजस्थान व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् (आर. सी.वी.ई.टी.) के नाम से खोले गये विशेष बैंक खाते में हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

A.9 राजस्थान में संभागवार/जिलेवार स्वीकृत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ :: वर्ष 2020-21

क्र. स.	संभाग		जिले का नाम	राजकीय औ.प्र. सस्थान		निजी औ.प्र.सस्थान		योग (राजकीय एवं निजी औ.प्र.सस्थान)	
				औ.प्र.स. की संख्या	कुल प्रवेश क्षमता	औ.प्र.स. की संख्या	प्रवेश क्षमता	कुल औ.प्र.स. की संख्या	कुल प्रवेश क्षमता
1	अजमेर	1	अजमेर	9	3448	52	8900	61	12348
		2	भीलवाड़ा	13	4344	31	6220	44	10564
		3	नागौर	7	2336	92	16592	99	18928
		4	टोंक	3	968	49	8808	52	9776
			योग	32	11096	224	40520	256	51616
2	बीकानेर	5	बीकानेर	9	3204	24	4296	33	7500
		6	चूरू	3	1144	49	9012	52	10156
		7	श्रीगंगानगर	6	2340	34	5464	40	7804
		8	हनुमानगढ़	3	1368	41	7120	44	8488
			योग	21	8056	148	25892	169	33948
3	भरतपुर	9	भरतपुर	7	1988	97	15568	104	17556
		10	धौलपुर	5	1632	40	5108	45	6740
		11	करौली	3	952	42	9500	45	10452
		12	सवाई माधोपुर	5	1496	32	7140	37	8636
			योग	20	6068	211	37316	231	43384
4	जयपुर	13	अलवर	16	4968	119	21788	135	26756
		14	दौसा	5	1600	113	24320	118	25920
		15	जयपुर	14	5112	296	50872	310	55984
		16	झुंझनू	5	1696	94	19050	99	20746
		17	सीकर	5	1672	149	23964	154	25636
			योग	45	15048	771	139994	816	155042
5	जोधपुर	18	बाडमेर	16	6280	23	3592	39	9872
		19	जैसलमेर	3	1272	3	564	6	1836
		20	जालोर	7	2544	4	808	11	3352
		21	जोधपुर	18	6196	47	7916	65	14112
		22	पाली	7	2512	12	2160	19	4672
		23	सिरोही	5	1896	4	888	9	2784
			योग	56	20700	93	15928	149	36628

6	कोटा	24	बारां	6	2128	40	5044	46	7172
		25	बूंदी	4	1396	42	6244	46	7640
		26	झालावाड़	8	2264	37	4116	45	6380
		27	कोटा	9	3156	89	15444	98	18600
			योग	27	8944	208	30848	235	39792
7	उदयपुर	28	बांसवाड़ा	11	4144	6	1460	17	5604
		29	चित्तौड़गढ़	9	3064	24	5484	33	8548
		30	डूंगरपुर	10	3784	6	884	16	4668
		31	प्रतापगढ़	5	1736	3	448	8	2184
		32	राजसमन्द	6	2280	8	1000	14	3280
		33	उदयपुर	18	6700	13	2956	31	9656
			योग	59	21708	60	12232	119	33940
		महायोग	260	91620	1715	302730	1975	394350	

A.10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रमानुसार प्रवेश क्षमता वर्ष 2020–2021

क्र. सं.	व्यवसाय का नाम	स्वीकृत स्थान												कुल स्वीकृत स्थान	
		NCVT				SCVT				TOTAL					
		राजकीय		निजी		राजकीय		निजी		राजकीय		निजी			
		Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Carpenter	24	576	0	0	16	384	0	0	40	960	0	0	40	960
2	Domestic Painter	0	0	0	0	6	144	0	0	6	144	0	0	6	144
3	Forger And Heat treater	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40	0	0	2	40
4	Foundryman	4	80	0	0	2	40	0	0	6	120	0	0	6	120
5	Interior Decoration and Designing	10	240	3	72	14	336	0	0	24	576	3	72	27	648
6	Marine Engine Fitter	0	0	3	60	0	0	0	0	0	0	3	60	3	60
7	Mason (Building Constructor)	0	0	0	0	1	24	0	0	1	24	0	0	1	24
8	Mechanic (Tractor)	16	320	0	0	14	280	0	0	30	600	0	0	30	600
9	Mechanic Auto Body Painting	2	40	0	0	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40
10	Mechanic Auto Body Repair	0	0	0	0	4	80	0	0	4	80	0	0	4	80
11	Mechanic Auto Electrical and Electronics	2	40	4	80	6	120	0	0	8	160	4	80	12	240
12	Mechanic Diesel	157	3768	777	18648	218	5232	0	0	375	9000	777	18648	1152	27648
13	Mechanic Two and Three Wheeler	0	0	3	60	4	80	0	0	4	80	3	60	7	140

14	Plastic Processing Operator	4	80	3	60	6	120	0	0	10	200	3	60	13	260
15	Plumber	70	1680	92	2208	51	1224	0	0	121	2904	92	2208	213	5112
16	Pump Operator-Cum-Mechanic	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40	0	0	2	40
17	Sheet Metal Worker	4	80	0	0	6	120	0	0	10	200	0	0	10	200
18	Stone Mining Machine Operator	2	48	0	0	0	0	0	0	2	48	0	0	2	48
19	Stone Processing Machine Operator	2	48	0	0	0	0	0	0	2	48	0	0	2	48
20	Welder	185	3700	60	1200	163	3260	0	0	348	6960	60	1200	408	8160
21	Welder (Fabrication & Fitting)	0	0	0	0	20	400	0	0	20	400	0	0	20	400
22	Welder (Pipe)	0	0	0	0	4	80	0	0	4	80	0	0	4	80
23	Welder (Structural)	0	0	0	0	4	80	0	0	4	80	0	0	4	80
24	Welder (Welding & Inspection)	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40	0	0	2	40
	Engineering One Year Total	482	10700	945	22388	545	12124	0	0	1027	22824	945	22388	1972	0
1	Architectural Draughtsman	4	96	3	72	8	192	0	0	12	288	3	72	15	360
2	Attendant Operator (Chemical Plant)	2	48	4	96	4	96	0	0	6	144	4	96	10	240
3	Draughtsman (Civil)	22	528	31	744	38	912	0	0	60	1440	31	744	91	2184
4	Draughtsman (Mechanical)	8	192	8	192	2	48	0	0	10	240	8	192	18	432
5	Electrician	322	6440	11095	221900	309	6180	0	0	631	12620	11095	221900	11726	234520
6	Electronics Mechanic	110	2640	63	1512	82	1968	0	0	192	4608	63	1512	255	6120
7	Electroplater	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40	0	0	2	40
8	Fitter	269	5380	1285	25700	206	4120	0	0	475	9500	1285	25700	1760	35200

9	Information Communication Technology System Maintenance	30	720	16	384	51	1224	0	0	81	1944	16	384	97	2328
10	Information Technology	4	96	0	0	4	96	0	0	8	192	0	0	8	192
11	Instrument Mechanic	6	144	2	48	6	144	0	0	12	288	2	48	14	336
12	Instrument Mechanic (Chemical Plant)	2	40	0	0	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40
13	Laboratory Assistant (Chemical Plant)	2	40	2	40	0	0	0	0	2	40	2	40	4	80
14	Lift and Escalator Mechanic	0	0	2	48	0	0	0	0	0	0	2	48	2	48
15	Machinist	13	260	0	0	20	400	0	0	33	660	0	0	33	660
16	Mechanic (Motor Vehicle)	48	1152	12	288	76	1824	0	0	124	2976	12	288	136	3264
17	Mechanic Agriculture Machinery	0	0	0	0	2	48	0	0	2	48	0	0	2	48
18	Mechanic Air-conditioning Plant	0	0	0	0	16	320	0	0	16	320	0	0	16	320
19	Mechanic Consumer Electronics Appliances	0	0	3	72	0	0	0	0	0	0	3	72	3	72
20	Painter General	2	40	0	0	6	120	0	0	8	160	0	0	8	160
21	Pattern Maker	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40	0	0	2	40
22	Refrigeration & Air Conditioning Technician	78	1872	48	1152	154	3696	0	0	232	5568	48	1152	280	6720
23	Surveyor	4	96	10	240	0	0	0	0	4	96	10	240	14	336
24	Technician Power Electronics System	0	0	0	0	6	144	0	0	6	144	0	0	6	144
25	Tool & Die Maker (Press Tools, Jigs & Fixtures)	2	48	0	0	2	48	0	0	4	96	0	0	4	96
26	Turner	48	960	0	0	26	520	0	0	74	1480	0	0	74	1480

27	Wireman	109	2180	236	4720	152	3040	0	0	261	5220	236	4720	497	9940
	Engineering Two Year Total	1085	22972	12820	257208	1174	25220	0	0	2259	48192	12820	257208	15079	0
1	Baker and Confectioner	0	0	2	48	0	0	0	0	0	0	2	48	2	48
2	Book Binder	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40	0	0	2	40
3	Commercial Art	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40	0	0	2	40
4	Computer Aided Embroidery And Designing	0	0	1	20	2	40	0	0	2	40	1	20	3	60
5	Computer Hardware & Network Maintenance	8	192	6	144	4	96	0	0	12	288	6	144	18	432
6	Computer Operator and Programming Assistant	181	4344	226	5424	252	6048	0	0	433	10392	226	5424	659	15816
7	Cosmetology	22	528	19	456	62	1488	0	0	84	2016	19	456	103	2472
8	Dress Making	12	240	12	240	6	120	0	0	18	360	12	240	30	600
9	Early Childhood Educator	0	0	40	960	6	144	0	0	6	144	40	960	46	1104
10	Fashion Design & Technology	10	200	9	180	54	1080	0	0	64	1280	9	180	73	1460
11	Finance Executive	0	0	2	48	0	0	0	0	0	0	2	48	2	48
12	Fire Technology and Industrial Safety Management	0	0	221	5304	12	288	0	0	12	288	221	5304	233	5592
13	Food & Beverages Services Assistant	6	120	5	100	8	160	0	0	14	280	5	100	19	380
14	Food Production (General)	6	144	5	120	4	96	0	0	10	240	5	120	15	360
15	Footwear maker	2	40	0	0	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40
16	Front Office Assistant	8	192	7	168	4	96	0	0	12	288	7	168	19	456
17	Fruit and Vegetable Processor	6	144	0	0	6	144	0	0	12	288	0	0	12	288

18	Health Safety & Environment	0	0	44	1056	0	0	0	0	0	0	44	1056	44	1056
19	Health Sanitary Inspector	0	0	278	6672	4	96	0	0	4	96	278	6672	282	6768
20	Horticulture	0	0	7	168	0	0	0	0	0	0	7	168	7	168
21	Hospital House Keeping	0	0	20	480	0	0	0	0	0	0	20	480	20	480
22	House Keeper	10	240	9	216	0	0	0	0	10	240	9	216	19	456
23	Human Resource Executive	0	0	2	48	0	0	0	0	0	0	2	48	2	48
24	Leather Goods Maker	2	40	0	0	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40
25	Letter Press Machine Minder	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40	0	0	2	40
26	Marketing Executive	0	0	6	144	0	0	0	0	0	0	6	144	6	144
27	Milk and Milk Product Technician	0	0	0	0	6	144	0	0	6	144	0	0	6	144
28	Office Assistant cum Computer Operator	0	0	2	48	0	0	0	0	0	0	2	48	2	48
29	Offset Machine Operator Cum Book Binder	0	0	0	0	4	80	0	0	4	80	0	0	4	80
30	Photographer	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40	0	0	2	40
31	Retail Services (CETT)	0	0	0	0	4	80	0	0	4	80	0	0	4	80
32	Secretarial Practice (English)	2	48	0	0	2	48	0	0	4	96	0	0	4	96
33	Sewing Technology	45	900	8	160	36	720	0	0	81	1620	8	160	89	1780
34	Stenographer & Secretarial Assistant (English)	14	336	1	24	4	96	0	0	18	432	1	24	19	456
35	Stenographer & Secretarial Assistant (Hindi)	41	984	17	408	7	168	0	0	48	1152	17	408	65	1560
36	Surface Ornamentation Techniques (Embroidery)	4	80	1	20	0	0	0	0	4	80	1	20	5	100

37	Tourist Guide	0	0	2	48	4	96	0	0	4	96	2	48	6	144
38	Travel & Tour Assistant	4	96	0	0	2	48	0	0	6	144	0	0	6	144
39	Hair & Skin Care (VI)	0	0	2	26	0	0	0	0	0	0	2	26	2	26
	Non Engineering One Year Total	383	8868	954	22730	501	11536	0	0	884	20404	954	22730	1838	0
1	Dental Laboratory Equipment Technician	0	0	2	48	0	0	0	0	0	0	2	48	2	48
	Non Engineering Two Year Total	0	0	2	48	0	0	0	0	0	0	2	48	2	0
1	Driver Cum Mechanic	10	200	1	20	0	0	0	0	10	200	1	20	11	220
2	Firemen	0	0	14	336	0	0	0	0	0	0	14	336	14	336
	Non Engineering Six Month Total	10	200	15	356	0	0	0	0	10	200	15	356	25	0
	Grand Total	1960	42740	14736	302730	2220	48880	0	0	4180	91620	14736	302730	18916	394350